

उत्तर प्रदेश सरकार

क्रम अनुभाग-2

संख्या-391/36-2-10/2010

दिनांक : 15/7/2010

अधिसूचना

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम-1996 के

अधिनियम (ज) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश विधानमंडली के नियम-14 के अधीन परिष्कृत कर्तव्यों और दायित्वों को अनुसूची सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची के सतम 2 में परिष्कृत अधिकारियों को सतम 3 में उल्लिखित उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के लिए शाराकीय, अर्द्धशासकीय निकायों, निगमों, साहाय्यी सन्निधियों, निर्यात संस्थाओं, कर्मस्थानों, फार्मों या अन्य निर्माण अभिकरणों आदि द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन समस्त भवनों एवं सन्निर्माण कर्मों तथा उक्त क्षेत्राधिकार में चलने वाले समस्त यादत लाख और उससे अधिक के निर्माण लागत वाले निजी निवास गृह एवं भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम-1996 (अधिनियम संख्या 28 सन् 1996) की धारा 5 के अधीन किए गये निर्माण आदेश तथा धारा 6 के अधीन आरोपित जुर्माने के विरुद्ध टाकर अपील के अनुश्रवण तथा विस्तारण हेतु अपील के अधिकारों को निम्नलिखित करते हैं :

15/7/10
उप अधिनियम
(अ. वि. सं. 28)

15-07-2010

553

1/10 मिनट
अधीन
अधीन
अधीन
अधीन
अधीन

सतम-1 क्रम संख्या	सतम-2 अधिकारी का नाम	सतम-3 अधिकारिता
	समस्त नडलायुक्त	मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारिता को स्थानीय सौभाग्य के अर्न्तगत निर्मित या निर्माणाधीन समस्त भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य जो भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम-1996 तथा उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन हैं।

(डा० आर० सी० श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या-391/36-2-10/2010, तददिनांक /

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐलवाग, लखनऊ को, आराधारण गजट के विभागीय परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड ख में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की 200 मुद्रित प्रतियाँ अनुभाग अधिकारी, क्रम अनुभाग-2, बापू भवन, लखनऊ 2000 शासन एवं 200 मुद्रित प्रतियाँ शगापुरा, उ०प्र०, कानपुर को तत्काल उपरोक्त कारना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार)
अनुसचिव।

